

फर्द अहकाम

(नियम 20)

तहसीलदार (राजस्व)

मुकाम रायसिंहनगर

ज अदालत

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम शरविन्द हल्का S.T. II
 किस्म मुकद्मा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि रां 48 रां 2020 अधिनियम 1954

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुकम की तामिल में जारी किये
-------	----------------------	--

21-9-20 रिपोर्ट पटवारी / गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि
 अप्रार्थी श्री शरविन्द
 पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति बिरकोट
 साकिन 20MP ने चक 20MP
 के मु.नं. 9,16 कि.नं.
 में कुल 0.962 हैक्टर / बीघा राजकीय भूमि पर
 सम्बत् प्रशिक्षण 2017 में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर
 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज
 काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा
 गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन
 आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली
 दिनांक 12-10-2020 को पेश हो।

य शरविन्द के पृष्ठ
 सं 084 के अंतर्गत
 पर मांग काश्त की
 गई-

12/10/2020

पत्रावली पेश हुई जबकि लगाई गई अप्रार्थी अंक
 अप्रार्थी ने पुत्रगत भूमि को नाजायज काश्त
 किया है अतः अप्रार्थी को अतिकारी घोषित किया
 जाकर लगान का 50 गुणा तकान राशि
 73/- अखरे तिहर स्थले कायम किया जाता है
 विष्टत आदेश अलग से लिखा था जाकर शक्ति
 मिलने से पालनोपशान्त पत्रावली निर्णय सुभार
 होकर दायित्व दफ्तर हो।

(Signature)